

R.C.M.S

कार्यालय अंचल अधिकारी बरवाडीह, (जिला- लातेहार)

सूचि 14 फारम 5621

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-सं०.....से.....तक

जिला.....सं० 128 सन 2022-23

केस का प्रकार :- श्रेयती भूमि का RS में जमाबंदी अद्यतन हेतु।

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित								
1	2	3								
10.11.23	आवेदक/अभेदिका.....<u>श्री. मधु प्रताप</u>..... पिता/पति.....<u>इंद्र खाव</u>.....साकिन.....<u>गिरदीबा</u> थाना.....<u>बलवाडीह</u>..... जिला लातेहार के द्वारा C.S. से R.S. पंजी II को अद्यतन कर लगान रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया है। जो निम्न है:- <table><thead><tr><th>मौजा</th><th>खाता नया/पुराना</th><th>प्लॉट</th><th>रकबा</th></tr></thead><tbody><tr><td><u>खरडीह</u> 09</td><td><u>72/187</u></td><td><u>403-</u></td><td><u>0016.50</u> बी</td></tr></tbody></table> राजस्व उप निरीक्षक /अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करे एवं आम इस्तेहार निर्गत करें। दिनांक.....<u>25.11.23</u> को अभिलेख उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, बरवाडीह। अभिलेख उपस्थापित । आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। किसी के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ । राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त । राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि श्री <u>श्री. मधु प्रताप</u> पिता/पति <u>इंद्र खाव</u> साकिन <u>गिरदीबा</u> में दाखिल खारिज वाद संख्या..... के द्वारा रकबा.....<u>50</u> भूमि प्राप्त किये है। जिसका C.S. तथा R.S. का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:-	मौजा	खाता नया/पुराना	प्लॉट	रकबा	<u>खरडीह</u> 09	<u>72/187</u>	<u>403-</u>	<u>0016.50</u> बी	
मौजा	खाता नया/पुराना	प्लॉट	रकबा							
<u>खरडीह</u> 09	<u>72/187</u>	<u>403-</u>	<u>0016.50</u> बी							

C.S. के अनुसार -

मौजा का नाम/थाना सं० खाता

खरडीह
०९

187

प्लॉट

126

रकबा

16 1/2 5/10

R.S. के अनुसार -

मौजा का नाम/थाना सं०

खाता

खरडीह
०९

72

प्लॉट

403

रकबा

00/6.50 8/10

उक्त भूमि का जमाबंदी शामू जताप पिता इ. न. लाव साकिन
के नाम से C.S. मांग पंजी॥ में चल रहा था। भूमि रैयती खाते की है एवं आवेदक
का शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। उक्त भूमि पर आवेदक के नाम से पूर्व में अंचल
पदाधिकारी, बरवाडीह/लातेहार। के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० 40 / 2009-10
द्वारा स्वीकृति दी गई थी। तदनुसार आवेदक/आवेदिका के नाम से जमाबंदी कायम कर लगान
रसीद निर्गत किया जा रहा था। वर्ष 2014-15 तक लगान रसीद निर्गत है। लगान
रसीद/खतियान की छायाप्रति एवं अमीन द्वारा ट्रेस किए गए नये/पुराने खाता प्लॉट का
सत्यापित नक्शा संलग्न है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के स्पष्ट अनुशंसा एवं दाखिल खारिज
वाद संख्या 40 / 2009-10 के आधार पर पूर्व में कायम जमाबंदी जिसका लगान
वर्ष 2014-15 तक वसूल है का, सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
झारखंड रांची के पत्रांक 1704 दिनांक 15.07.2020 के अनुपालन में लगान रसीद निर्गत करने हेतु
चालू पंजी॥ में दर्ज जमाबंदी को अद्यतन करने की इ. न. लाव दी जाती है। उक्त आदेश
किसी भी सक्षम न्यायालय के स्वत्व संबंधित पारित आदेश से प्रभावित होगी।
तदनुसार आदेश का उद्वरण तीन प्रति में हस्ताक्षरित।

आदेश की दो प्रति राजस्व उप निरीक्षक को अनुपालन हेतू दें तथा अनुपालन
प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक पक्ष के अन्दर समर्पित करें।

लेखापित एवं अंशोधित।

अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।

R. Lal
28.1.23
अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।